2367

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the

विशय :-**Diversion of 4.506 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of road from Punnan to Gad Deem (Kms. 0/00 to 10/346) under PMGSY within the jurisdiction of Ani Forest Division at Luhri, Distt. Kullu, Himachal Pradesh.**

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB036/2012 – CHA दिनांक 22.05.13** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 4.506 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of road from Punnan to Gad Deem (Kms. 0/00 to 10/346) under PMGSY within the jurisdiction of Ani Forest Division at Luhri, Distt. Kullu, Himachal Pradesh को उपयोग के लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 कम से कम वृक्ष कटवायें जायेंगे जिनकी सख्या प्रस्ताव के अनुसार **आठ वृक्षों** से अधिक नही होगी।

3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UPF-Shodidhar में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 17,36,438/–(सत्रह लाख छत्तीस हजार चार सौ अट्ठत्तीस मात्र) की राशि से कुल 9.00 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। **प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**

4 प्रस्ताव से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाये।

5 An undertaking by the user agency to pay the additional NVP, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.

6 No labour camp shall be established on the forest land.

7 The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

8 The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area.

9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

10 भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश संख्या **11–48/2002 – FC दिनांक 29/30 अप्रैल-2005, 5-3/2007-FC दिनांक 17 जनवरी 2011** तथा अन्य जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(109)

11 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

12 भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-**HPB036/2012 – CHA** **दिनांक** **22.05.13** में अंकित सभी शर्तो की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

13 उपरोक्त निर्माण में जो भी वृक्ष आयेगें उन्हे हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा हटाया जायेगा।

14 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Kullu, HP.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेष सरकार षिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated, Shimla-171001 the,... 6-6-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 –A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt, Kullu, Himachal Pradesh .
6. Executive Engineer, Outer Seraj Division, HPPWD, Nirmand, Distt. Kullu, HP.
7. CCF,Kullu /DFO, Ani Forest Division & Distt. Kullu H.P.
8. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

S/FCA
APCCF (FCA)
PCCF/HP
10/6/13
1210
13/6/13